राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आइ0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 36/2024

अपीलांटगण–

1. भीखाराम पुत्र पदमाराम
2. भंवराराम पुत्र पदमाराम
3. केवलराम पुत्र शंकर राम
4. आम्बाराम पुत्र नरसाराम
5. वोताराम पुत्र नरसाराम

जातियान भील, निवासीयान बुड़िवाड़ा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा।

2 राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार जसोल।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/रा.लो.अ./15/348 दिनांक 26.06.2015 जो उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री देवीसिंह महेचा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 25.09.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट उप तहसीलदार जसोल के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक/रा.लो.अ./15/348 दिनांक 26.06.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 24.05.2024 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा बुड़ीवाड़ा, पटवार हल्का जागसा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 480 रकबा 13 बीघा 07 विस्वा के खातेदारान अपीलांटगण संख्या 1 व 2 स्वयं एवं अपीलांट संख्या 3, 4, 5 के पिता ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.06.2015 को उप तहसीलदार

जिला कलक्टर
बालोतरा

जरीब के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज है तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक है। इस पर उप तहसीलदार जरीब द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक / रा.ली.अ. / 15 / 348 दिनांक 26.06.2015 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.05.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण की पैतृक भुमि उक्त खसरान मौजा मौजा बुड़ीवाड़ा, पटवार हल्का जागसा, तहसील पचपदरा में अवस्थित है। उक्त आलोच्य भूमि अपीलांटगण की संयुक्त खातेदारी की थी। जिसका खेत खसरा नंबर 480 रकबा 13 बीघा 07 विस्वा है। अपीलांटगण देहाती अनपढ. व्यक्ति है। अपीलांटगण को अपने संयुक्त खाते की भूमि का आपसी बंटवाड़ा करवाने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 2 के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 26.06.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। समस्त पक्षकारान आपसी सहमति से कब्जा कास्त व रहवासीय ढाणियों के अनुसार विभाजन करने हेतु सहमत हुए। लेकिन रेस्पोंडेंट संख्या 2 व उनके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा अपीलांटगण के कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाड़ा नहीं किया जाकर तरमीम गलत की गई, जिससे अपीलांटगण के हक पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे है। अपीलांटगण संख्या 1 व 2 की ढाणियों में अपीलांटगण संख्या 3 ता 5 का हिस्सा दर्शाया गया है एवं अपीलांट संख्या 3 के हक हिस्सा में अपीलांट संख्या 4 व 5 को दर्शाया गया है, जो कि गुगल नक्शा से भी स्पष्ट है कि जो मौके पर हिस्से एवं कब्जे काश्त के अनुसार नहीं है। साथ ही मौके पर कब्जा कास्त, मेड़बंदी, तारबंदी, रहवासीय ढाणी, टांके प्रभावित हो रहे है, जिससे बंटवाड़ा की

जिला कलक्टर
बालोतरा

तरमीम दुरूस्त की जाकर मौके काश्त के अनुसार पुनः बंटवाड़ा किया जाये। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त योग्य है।

5. अपीलांटगण के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि उक्त आलोच्य विभाजित भूमि में अपीलांटगण के रहवासीय मकानात व मौके पर बोई गई अनार के पौधे की फसल भी प्रभावित हो रही है। अपीलांटगण का कब्जा काश्त व उपयोग पिछले 50 वर्षों से किये जा रहे है उसी के अनुरूप हल्का कर्मचारियों द्वारा बंटवाड़े की तरमीम नहीं किये जाने से उक्त विभाजन से बंटवाड़े का उद्धेश्य पूर्ण नहीं होने से उक्त आलोच्य विभाजन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। इस हेतु समस्त अपीलांटगण की सहमती पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित विभाजन आदेश क्रमांक भू.अ./2015/100 दिनांक 28.05.2015 को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त माफिक बंटवाड़ा पुनः करवाना चाहते है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से आलोच्य मूल अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया गया।

7. हमने अपीलांटगण के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांटगण द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा बुड़ीवाड़ा, पटवार हल्का जागसा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 480 रकबा 13 बीघा 07 विस्वा के खातेदारान अपीलांटगण संख्या 1 व 2 स्वयं एवं अपीलांट संख्या 3, 4, 5 के पिता द्वारा तहसीलदार उपतहसीलदार जसोल के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर उप तहसीलदार जसोल द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक क्रमांक/रा.लो.अ./15/348 दिनांक 26.06.2015 को पारित किया गया। चूंकि पक्षकारान की मुख्य आपत्ति है कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है एवं पक्षकारान को अपुर्णीय क्षति हो रही है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि

जिला कलक्टर
बालोतरा

एकरूपता बनी रहें। उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध में समस्त पक्षकारान के सहमति के आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति अनुसार पुनः बंटवाड़े हेतु रजामंद है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जसोल द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट उप तहसीलदार जसोल द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक/रा.लो.अ./15/348 दिनांक 26.06.2015 को अपास्त किया जाता है। लिहाजा प्रकरण उप तहसीलदार जसोल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए एव पक्षकारों को सुनकर पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा